भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2390
07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

सरल स्टील आयात निगरानी प्रणाली (सरल एसआईएमएस) का कार्यान्वयन

2390. **डा. कविता पाटीदार:**
श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) सरल स्टील आयात निगरानी प्रणाली (सरल एसआईएमएस) के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आयातकों के लिए अनुपालन को सुगम बनाने हेतु सरलीकृत पंजीकरण प्रणाली को मौजूदा स्टील आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के साथ एकीकृत किए जाने का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरल एसआईएमएस के अंतर्गत आयातकों तथा इस्पात उत्पादों की कौन-कौन सी श्रेणियां शामिल की गई हैं;
(घ) क्या मंत्रालय ने व्यापार सुविधा तथा व्यापार सुगमता पर सरल एसआईएमएस के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और अन्य छोटे आयातकों द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 72, 73 और 86 के अंतर्गत वर्गीकृत लौह एवं इस्पात वस्तुओं से संबंधित छोटी खेपों के आयात के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, साथ ही अग्रिम प्राधिकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) रूट के तहत निर्यात उद्देश्यों के लिए किए गए आयात हेतु, दिनांक 21 नवंबर, 2025 को 'सरल एसआईएमएस' की एक नई सुविधा शुरू की गई है। इस उद्देश्य के लिए, मौजूदा पोर्टल के अतिरिक्त एक अलग पोर्टल स्थापित किया गया है।

*****